फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

गोपाल आदि बनाम सुरजनाथ व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 व 212(2) आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–161/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.2.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकीलउभय उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष की दिनांक 23.01.2020 को सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के परदादा व प्रार्थी संख्या 5 के दादाससुर कुम्मनाथ पुत्र धन्नानाथ के नाम से रोही रघुनाथपुरा बारानी के खसरा संख्या 42/26.05 बीघा रकबा दर्ज रिकार्ड है व प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के दादा व प्रार्थी संख्या 5 के ससुर सूरजनाथ पुत्र कुम्मनाथ के नाम से वाके रोही रघुनाथपुरा के खसरा संख्या 4/2 में 2.298 है0 व खसरा स0 4/3 में 0.504 है0 बारानी कुल 3.403 है0 बारानी व इसी रोही के खसरा संख्या 176/4 में 0.759 है0 बारानी रकबा व चक 2 आरएम के खाता संख्या 65/59 के प0न0 154/24 कि0न0 1 ता 25/5.453 है0 अ0क0 व चक 5 आरएम खाता संख्या 86/71 के प0न0 93/57 कि0न0 11,12,19 ता 2 में 1.265 है0 कमाण्ड व प0न0 93/49 कि0न0 14 ता 18, 24, 25 में 11.391 है0 कमाण्ड व प0न0 93/50 कि0न0 4 ता 6, 15 में 0.974 है0 कमाण्ड मय खाला व प0न0 93/58 कि0न0 1 ता 3, 8 ता 13 में 1.547 है0 कमाण्ड रकबा इस प्रकार कुल 5.375 है0 कमाण्ड मय खाला में से 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित रकबा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज रकबा की आय व उसी रकबा से पैमुद होकर चकबंदी में पैमुद हुआ है। उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन सम्पति की आय एवं विरास्तन कुम्मनाथ पुत्र धन्नानाथ से प्राप्त हुआ है इसलिये जैरवाद रकबा प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम समस्त रकबा में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है। जैरवाद रकबा में प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रकबा में 1/5 हिस्सा में से 5/6 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने घर से बेदखल कर दिया है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 व 10 प्रार्थीगण दुर्रभावना रखते है तथा जैरवाद रकबा को खुर्द बुर्द करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने यदि रकबा किसी अन्य को रहन बैय कर दिया तो प्रार्थीगण का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि जैरवाद रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित है, यह उसकी स्वयं पैदा करदा सम्पति है जो सहदायी सम्पति नही है। उत्तराधिकार का कानून अप्रार्थी संख्या 1 के जिवित रहते लागू नही होता है। अप्रार्थी संख्या 1 के जीवित रहते स्वअर्जित सम्पति में पुत्र/पुत्रीयों का कोई हक नही बनता है। जैरवाद रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। प्रार्थीगण का ना तो प्राथमिक रूप से मामला बनता है ना ही सुविध का संतुलन उनके पक्ष में है। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। जैरप्रकरण रकबा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में बताया है कि उक्त जैरवाद रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक प्राप्त रकबा है, किन्तु उन्होने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त रकबा प्रार्थीगण के परदादा/दादाससुर के नाम दर्ज भूमि से ही आई हुई है व उसी आय से पैमुद होकर प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण यह कही भी साबित नही कर पाये है कि उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक प्राप्त हुआ है। जैरवाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 सुरजनाथ के नाम से अंकित है वे उक्त रकबा के अंकित खातेदार कृषक है। मा0न्यायालयों के न्यायिक दृष्टातों में भी यह निर्णय दिये गये है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जानी चाहिए, जो कि इस प्रकरण पर भी लागू होती है। प्रार्थीगण का ना तो प्राथमिक रूप से मामला बनता है ना ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है। इसलिये प्रार्थनाा पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:41:18 IST
Reason: SelfAttested